आज दिनांक 04.09.2017 को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ओफाज की अध्यक्षता मे समेति सभागार, कृषि भवन, चतुर्थ तल, कांके रोड,रांची में ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखण्ड अन्तर्गत जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजना के क्रियान्वयन हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति (EOI)/ निविदा प्रकाशन से पूर्व प्री–बीड की बैठक की कार्यवाहीः–

ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखण्ड अन्तर्गत जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजना के कियान्वयन हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति (EOI)/ निविदा प्रकाशन से पूर्व प्री–बीड की बैठक मे निम्न पदाधिकारियों/ कर्मचारियों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लियाः–

1. श्री राजीव कुमार, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ओफाज – अध्यक्ष
2. श्री विजय कुमार, उप निदेशक उद्यान, राँची – सदस्य
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, अवर वित्त सचिव, वित विभाग, झारखण्ड के प्रतिनिधि – सदस्य
4. श्री विष्णु कांत किष्कू, अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग – सदस्य
5. श्रीमती अगस्ता सोरेन, अवर सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड के प्रतिनिधि – सदस्य
6. श्री गुरूचरण भगत, अवर सचिव, मंत्रिमण्डल निगरानी, झारखण्ड के प्रतिनिधि – सदस्य
7. निदेशक उद्यान, झारखण्ड के प्रतिनिधि – सदस्य

सभी कर्मचारी/पदाधिकारियों एवं सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति पंजी मे संधारित है।

सर्वप्रथम मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ओफाज के द्वारा क्रय एवं मूल्य निर्धारण समिति के सभी सदस्यों के साथ साथ सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुये बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। अध्यक्ष महोदय के द्वारा जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजना में प्रमाणीकरण संस्थाओं, उपादान आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा प्रदाता की भूमिका पर प्रकाश डालते हुये बताया गया की योजना के सफल क्रियान्वयन मे उक्त तीनों एजेंसियो की भूमिका अहम है। जैविक कृषि के क्रियान्वयन मे सभी एक दूसरे के पूरक है एवं आशा व्यक्त की गयी की सभी अपने–अपने कार्यो का शत–प्रतिशत देते हुये एवं एक–दूसरे से समन्वय स्थापित कर योजना के उद्देश्य को पूर्ण करने मे अपना सहयोग प्रदान करेगें।

ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखण्ड अन्तर्गत जैविक प्रमाणीकरण की योजना के कियान्वयन हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति (EOI)/ निविदा से पूर्व प्री–बीड की बैठक हेतु सूचना राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख समाचार पत्रों मे दिनांक 30.08.2017 को प्रकाशित की गई, तदोपरांत योजना से संबंधित प्रकाशित किये जाने वाले निविदा प्रारूप को ओफाज एवं एन0एच0एम0 की वेबसाईट पर upload कराई गई, ताकि बैठक मे भाग लेने वाले संस्थाओ के साथ निविदा प्रारूप के विभिन्न बिन्दुओं पर सम्यक विचार–विमर्श किया जा सके।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ओफाज द्वारा Tender Bid Document के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिये गयेः–

1. Tender Bid Document का Spiral Binding मे होना अनिवार्य है। Spiral Binding न होने पर Tender Bid Document पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. आवेदनकर्ता Tender Bid Document से संबंधित दस्तावेज ही संलग्न करेगें साथ ही संबंधित कागजातों का Indexing, पेजिंग एवं प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर सहित संस्था का मूहर होना अनिवार्य होगा।
3. संस्थाओं के द्वारा Tender Bid Document में संलग्न अभिलेखों के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत आती है एवं जॉचोंपरांत सहीं पाये जाते है तो संबंधित संस्था को काली सूची मे डालते हुये इसकी सूचना

सभी Apex Body को सूचित करते हुए EMD की राशि प्राधिकार द्वारा जब्त कर ली जायेगी एवं निर्गत किये गये कायदिश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। प्रकाशित Tender Document की मूल भावना यथावत बनी रहेगीं।

निबंधित प्रमाणीकरण संस्थाओं के साथ Tender Document पर हुये विचार-विमर्श के बिन्दु (11:00AM से 12:30 PM)

1. A. वनसर्ट संस्था के प्रतिनिधि नें निविदा पत्र के Roles and Responsibility of Empanelled Agencies के प्रथम कंडिका मे NOP को समाहित करने का सुझाव दिया।

   B. Evaluation of Technical Bid के Marking Pattern के कंडिका-8 में वर्णित-"Work experience in organic certification (NPOP) with OFAJ Projects in Jharkhand" ओफाज अन्तर्गत परियोजनाओं के साथ-साथ अन्य परियोजनाओं को भी समाहित कराने का सुझाव दिया।

   सम्यक विचारोपरांत वर्त्तमान में NOP की आवश्यकता नहीं होने के कारण तथा संबंधित संस्था द्वारा सेरीकल्चर में Private रूप से झारखण्ड में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का कार्य कराया जा रहा है, को देखते हुए समिति के सदस्यों द्वारा उक्त दोनो सुझाव पर सहमति प्रदान नहीं की गई।
2. सफल निविदादाताओं को Work Order/MOU के पश्चात् कुल आवंटित कार्य का 5 प्रतिशत राशि Security Money के रूप मे जमा करना होगा जिसमें देय EMD की राशि को समाहित कर लिया जायेगा।
3. अध्यक्ष महोदय के द्वारा प्रमाणीकरण संस्थाओं को उत्पाद का सुगमता पूर्वक विपणण मे सहयोग हेतु अनुरोध किया गया तथा उपस्थित संस्थाओं के द्वारा उक्त पर सहमति प्रदान की गयी।

संस्थाओं के उपस्थित सदस्यों के द्वारा सुझाव प्रस्ताव के आलोक में आंशिक संशोधनोपरांत क्रय एवं मूल्य निर्धारण समिति द्वारा Tender Document के प्रारूप पर सहमति प्रदान की गई। तदनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

उपादान आपूर्तिकर्ता के साथ Tender Document पर हुये विचार-विमर्श के बिन्दु (समयः-12:30PM से 01:30 PM तक)

1. निविदा प्रारूप के बिन्दुओं पर विमर्श करते हुये सुरज श्री केमिकल्स के प्रतिनिधि नें निविदा पत्र के Terms & Conditions की कंडिका-4 मे निबंधन की वैद्यता को तीन वर्ष के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2017-18 से आरंभ होने वाली योजना की पूर्ण होने तक के लिये मान्य किये जाने का सुझाव दिया गया। समिति के द्वारा सम्यक विचारोपरांत सहमति प्रदान की गयी।
2. All products (Biofertlizer / Biopesticides / Soil conditioner / Plant Growth enhancer / other approved bio-products) must be approved / attested under NPOP standards.
3. Those Products which comes under CIB / FCO act then registration is compulsory from concern authority. All bio-fertilizer / bio-pesticides comes under FCO / CIB act.
4. Registration is not required for those products which not comes under FCO / CIB act.

योजना के कियान्वयन हेतु निर्गत राज्यादेश संख्या-99 दिनांक 03.01.2017 मे वर्णित उक्त योजना का कार्यानवयन राष्ट्रीय स्तर पर निविदा आमंत्रित कार्यकारी संस्थाओं, प्रमाणीकरण संस्थाओं का चयन कर एवं राशि का व्यय प्राधिकार के शासी निकाय की बैठक मे लिये गये निर्णय के आलोक मे किया जाना है। प्राधिकार के

अन्तगर्त कार्यान्वित योजनाओं मे जैविक उपदान की आपुर्ति हेतु राष्ट्रीय स्तर पर निविदा आमंत्रित कर जैविक उपादान उत्पादक संस्थाओं को चयन कर बैंक आधारित उपादान अनुदान कार्ड प्रणाली के माध्यम से किसान को की जायेगी। उक्त राज्यादेश के आलोक में आवंटित राशि पी0एल0 खाते मे संधारित है। जिसके कारण किसानों को उपादान अनुदान मद की देय राशि बैंक आधारित कार्ड प्रणाली के माध्यम से संचालित किया जाना संभव प्रतित नहीं होता है।

अतः भुगतान के संबंध मे यह निर्णय लिया गया की कृषक अपने इच्छा के अनुरूप सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता से बायो इन्पुट खरीद कर यदि स्वयं भुगतान करता है तो अनुदान की राशि उनके खाते मे DBT के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी। यदि सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता कृषक को बिना राशि लिये बायो इन्पुट्स उपलब्ध कराता है तो उसका साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। जाँचोपरांत उक्त राशि संस्था को DBT के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी। उक्त पर निर्णय शासी निकाय की बैठक में लिया जाना आवश्यक होगा।

5. कायदिश के प्रश्न पर समिति के द्वारा स्पष्ट शब्दों मे सूचित किया गया की ओफाज के द्वारा उपादान आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को बायो इन्पुट्स आपूर्ति हेतु सिर्फ सूचीबद्ध किया जायेगा। प्राधिकार कार्यालय के द्वारा कोई भी कायदिश उन्हे निर्गत नहीं किया जायेगा। योजना से संबंधित कृषक किसी भी सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ताओं से उपादान कय करने हेतु स्वतंत्र होंगे।
6. समिति द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को सुझाव दिया गया कि बायो इन्पुट्स का दर निर्धारण के क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा कि किसी भी परिस्थिति में संबंधित बायो इन्पुट्स का मूल्य बाजार मूल्य से अधिक न हो।
7. समिति के द्वारा संस्थाओं को सूचित किया गया की यदि आपूर्तिकर्ता डिलर के माध्यम से बायो इन्पुट आपूर्ति का कियान्वयन करते है तो भविष्य मे यदि आपूर्तिकर्त्ता (डीलर) के द्वारा उपलब्ध कराई गयी बायो इन्पुट्स Sub- Standard पाये जाते है तो इसकी पूरी जवावदेही मूल रूप से सूचीबद्ध संस्था की होगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी तथा उनको किसी भी देय राशि का भुगतान स्थगित रखा जायेगा।

संस्थाओं के उपस्थित सदस्यों के द्वारा सुझाव प्रस्ताव के आलोक में आंशिक संशोधनोपरांत क्रय एवं मूल्य निर्धारण समिति द्वारा Tender Document के प्रारूप पर सहमति प्रदान की गई। तदनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

सेवा प्रदाता से संबंधित Tender Document पर हुये विचार-विमर्श के बिन्दु
(समयः- 02:30PM से 03:30PM तक)

1. छोटानागपूर क्रॉफ्ट डेवल्पमेंट सोसाईटी, राँची के प्रतिनिधि द्वारा निविदा प्रारूप की न्यूनतम आवश्यक अहर्ता की कंडिका-5 मे कुल किये गये कार्य को 1000 हे0 से कम करने हेतु विचार करने का अनुरोध किया गया।
2. बैठक मे उपस्थित श्री मृत्युन्जय कुमार सिंह के द्वारा अपना पक्ष रखते हुये समिति के समक्ष योजना मे नये Start-ups कर रहे सेवा प्रदाताओं के लिये अवसर प्रदान करनें का अनुरोध किया।

   उक्त अनुरोध पर विचार के क्रम में पाया गया कि योजना हेतु निर्गत राज्यादेश संख्या-99 दिनांक 03.01.2017 के अनुसार यह कार्य राष्ट्रीय स्तर पर निविदा आमंत्रित कर कार्यकारी संस्थाओं

का चयन कर राशि का व्यय प्राधिकार के शासी निकाय की बैठक मे लिये गये निर्णय के आलोक मे किया जाना है, का अनुपालन करते हुये समिति के द्वारा सर्वसम्मती से निर्णय लिया गया की कार्य की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु इसे अप्रासंगिक बताते हुए सहमति व्यक्त नहीं की गई।

3. उपस्थित प्रतिनिधियों ने विगत तीन वर्ष के Annual Turnover को पचास लाख से कम करने का अनुरोध किया। समिति द्वारा सर्वसम्मती से निर्णय लेते हुए इसे पच्चीस लाख करने पर सहमति प्रदान की गई।
4. उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा यह पृच्छा की गई कि Marketing/Marketing Linkage मे अनुभव से संबंधित किस तरह के प्रमाण पत्र संलग्न किये जाये। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की इस संबंध में संस्थाओं द्वारा किये गये कार्यो का सर्पोटिंग Document प्रस्तुत किया जायेगा।
5. सफल निविदादाताओं को Work Order/MOU के पश्चात् कुल आवंटित कार्य का 5 प्रतिशत राशि Security Money के रूप मे जमा करना होगा जिसमें देय EMD की राशि को समाहित कर लिया जायेगा।

संस्थाओं के उपस्थित सदस्यों के द्वारा सुझाव प्रस्ताव के आलोक में आंशिक संशोधनोपरांत क्रय एवं मूल्य निर्धारण समिति द्वारा Tender Document के प्रारूप पर सहमति प्रदान की गई। तदनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

निदेशक,
उद्यान, झारखण्ड,
राँची के प्रतिनिधि।

04/09/17
प्रधान सचिव,
मंत्रिमण्डल (निगरानी) विभाग,
झारखण्ड के नामित प्रतिनिधि।

04.09.17
सचिव,
उद्योग विभाग,
झारखण्ड, राँची के नामित
प्रतिनिधि।

4.9.17
उप निदेशक,
उद्यान, राँची

04.9.17
वित्त विभाग,
झारखण्ड, राँची के प्रतिनिधि।

4-9-17
अवर सचिव,
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता
विभाग, झारखण्ड।

4/9/2017
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
ओफाज, झारखण्ड, राँची।